बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 330420 पटना, दिनांक 26/09/17

ग्रा0वि0- ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(स्व0 पखवाड़ा)- 102-100/2017

प्रेषक,

राहुल रंजन महिवाल, भा0प्र0से0

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,

बिहार।

विषय : **01 से 15 अक्टूबर, 2017 तक ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कराये जाने वाले कार्यकलाप के संबंध में।**

प्रसंग:- **विभागीय पत्रांक- 328849 दिनांक- 18.09.2017**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में आप अवगत हैं कि दिनांक- 01 से 15 अक्टूबर, 2017 तक राज्य के सभी पंचायतों में ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाना है। इससे संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश उल्लेखित पत्र के माध्यम से दी जा चुकी है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यकलापों को भी कराया जाना है ताकि स्थानीय समुदाय के सहभागियों में अपनी स्थिति में बेहतरी के प्रति जागरूक किया जाएगा तथा इस योजना के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जायेगा। ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत प्रधान मंत्री आवास योजना से संबंधित कराये जाने वाले क्रियाकलाप निम्नवत् हैं:-

1) निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार सभी लाभार्थियों की जियो टैगिंग, उनके बैंक में खातों को खुलवाकर उनका आवास सॉफ्ट पर निबंधन- 05 अक्टूबर 2017 तक ।
2) सभी निबंधित लाभार्थियों की जिला स्तर से स्वीकृति 05 अक्टूबर 2017 तक (निबंधन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया समानान्तर रूप से एक साथ चलेगी)।
3) सभी निबंधित एवं स्वीकृत लाभार्थियों के एफ.टी.ओ. का निर्माण एवं उनकी स्वीकृति (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा सभी एफ.टी.ओ. डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से राशि अन्तरित करने हेतु अग्रसारित किया जाना)- 09 अक्टूबर 2017 तक।
4) सभी स्वीकृत लाभार्थियों की सूची को विनिर्दिष्ट स्थलों पर पढ़ा जाना - 2 अक्टूबर 2017 तक।
5) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से संबंधित सभी जानकारियों को फ्लैक्स के माध्यम से प्रदर्शित करना - 12 अक्टूबर 2017 तक।
6) विभिन्न लाभार्थियों द्वारा पूर्ण कराये गये आवासों के सफलता की कहानी (Success Story) का वाचन - 12 अक्टूबर 2017 तक।
7) नुक्कड़ नाटकों का आयोजन - 12 अक्टूबर 2017 तक।

8) योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव प्राप्त करना - 12 अक्टूबर 2017 तक।

9) वैसे लाभार्थी जिनके आवास स्वीकृत कर प्रथम किस्त की राशि अन्तरित की जा चुकी है, उनका भूमि-पूजन समारोह आयोजन कर सम्पन्न कराना, जिसमें स्थानीय जन प्रतिनिधि एवं प्रधानमंत्री योजना- ग्रामीण के अन्य लाभार्थियों को आमंत्रित किया जाय।

10) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वैसे सभी लाभार्थी जिनके द्वारा आवास पूर्ण करा लिए गए हैं, का गृह-प्रवेश समारोहपूर्वक सम्पन्न कराना जिसमें स्थानीय जन प्रतिनिधि एवं प्रधानमंत्री योजना-ग्रामीण के अन्य लाभार्थियों को आमंत्रित किया जाय।

उपर्युक्त क्रियाकलाप सभी पंचायतों में निर्धारित तिथि को कराये जायेगें। जिला स्तर से उपर्युक्त क्रियाकलापों को कराये जाने हेतु एक कोषांग का गठन किया जायेगा जिसमें दिन-प्रतिदिन के आधार पर सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करके इसमें आने वाले समस्याओं का समाधान किया जायेगा।

दिनांक- 09.10.2017 तक लक्ष्य के विरूद्ध सभी लाभार्थियों का निबंधन एवं उनकी स्वीकृति कराते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से सभी एफ.टी.ओ. आवश्यक रूप से अग्रसारित कर दिया जाय ताकि इस प्रक्रिया के बाद किए जाने वाले क्रिया कलाप निर्धारित तिथि एवं समय पर पूर्ण हो सके।

सभी पंचायतों में कराये जाने वाले क्रियाकलापों से संबंधित प्रतिवेदन, संलग्न प्रपत्र मे संकलित एवं समेकित कर सभी प्रखण्डों द्वारा संबंधित जिलों को भेजा जाएगा। प्रखण्डों द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन को संकलित कर सभी जिले दिनांक- 20.10.2017 तक समेकित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेगें।

पंचायतों में कराये जाने वाले सभी क्रियाकलापों की फोटोग्राफी भी करायी जाएगी जिसे संकलित कर संबंधित जिलों को भेजा जाएगा ताकि फोटो को विभिन्न आयोजनों में समय-समय पर प्रदर्शित किया जा सके। जिला द्वारा प्राप्त सभी फोटो में से अच्छे फोटोग्राफ का चयन कर विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय ताकि इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भी भेजा जा सके।

अत: अनुरोध है कि मिशन अंत्योदय- ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा के सफल कार्यान्वयन हेतु सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए।

विश्वासभाजन

25-9-17

(राहुल रंजन महिवाल)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 330420 पटना, दिनांक 26/09/17

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25-9-17

सरकार के अपर सचिव

letter-76